(c) All such private schools function under relevant legislations of the State Governments/Union Territory Administrations. In general, all such legislations stipulate that the fees to be charged by schools will have to be proportionate to the facilities provided by them to the students. Any action violative of this provision is dealt with by the State Governments as per the statutory mandate.

प्रतिभा पलायन

1892. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश से कितने डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञ एवं मेधावी व्यक्ति विदेश गये हैं;

(ख) क्या सरकार शिक्षा, प्रौद्योगिकी और औषधि क्षेत्र के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के विदेश जाने की बजाए उन्हें देश में ही अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने की कोई योजना बनाने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राजस्थान के कितने डॉक्टर व इंजीनियर रोज़गार हेतु विदेश गये?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) रोज़गार की तलाश में विदेश जाने वाले शिक्षित भारतीयों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है। समय-समय पर सरकार ने विदेश जाने को कम करने तथा विदेशों में बसे हुए वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं:—

—नए वैज्ञानिक विभागों/संगठनों का सृजन करना।

—विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थानों में उत्कृष्टता/उच्च अध्ययन के अधिक केन्द्र स्थापित करना।

—विज्ञान के नए तथा आधुनिक क्षेत्रों में शोध करने के लिए आवश्यक आधुनिक सुविधाओं सहित प्रोफेशनल्स के कोर ग्रुप का सृजन।

—राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उद्यमी विकास बोर्ड (विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग) के अंतर्गत उद्यमियों के विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण।

—एसोसियेटशिप/अध्येतावृत्तियों/पाठ्यक्रमों के माध्यम से जनशक्ति विकास प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम।

—वैज्ञानिक पूल योजना के अंतर्गत वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों की अस्थाई तैनाती का प्रावधान।

—विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के आधुनिक तथा उभरते हुए क्षेत्रों में सहायता करने के लिए विदेशों में बसे भारतीय मूल के विशिष्ट पुरुषों तथा महिलाओं को अल्पकालिक प्रौद्योगिकीय कार्य के लिए आमंत्रित करना।

Funding of Primary Education Prtojects under DPEP

1893. SHRI NAGENDRA NATH OJHA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the World Bank, European Commission, Government of United Kingdom and Government of Netherlands are funding the primary education project under DPEP in more than 200 districts in India; and

(b) if so, the details of the terms and conditions of loan or aid?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR MURLI MANOHAR JOSHI): (a) and (b) Yes, Sir. The position about the external assistance tied up with the various funding gencies, the number of district covered and major terms and conditions of loan and are given in the Statement.